8-7/9

2014/00431

निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 16/2014 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

श्री नाथू सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह, 85–बी, सुल्तान नगर, गुर्जर की थडी के पास, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, प्रोपराइटर मैसर्स रावत होटल, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के सामने, बांगड हॉस्पिटल के सामने, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 19.200 किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 14.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 09.04.2014 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों का वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ मैसर्स रावत होटल, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के सामने, बांगड हॉस्पिटल के सामने, जयपुरकी जाचं की गई। मौके पर फर्म मालिक श्री नाथू सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह उपस्थित मिले तथा स्वयं को फर्म मालिक होना अवगत कराया। मौके पर फर्म मालिक की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी. एसआर नम्बर 321453, 45846 पाये गये। जिनमें से एक घरेलू गैस सिलेण्डर एसआर नम्बर 321453 रेग्यूलेटर व रबड पाईप के माध्यम से लो की भट्टी से जुडा पाया गया,जिस पर रोटी बनाने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर भट्टी को बंद करवाकर कार्य रूकवाया गया। फर्म मालिक द्वारा अवगत कराया गया कि उसके द्वारा ग्राहको को रोटी सब्जी आदि बनाकर विक्री करने का कार्य किया जाता है। फर्म मालिक द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नही किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स जयपुर गैस सर्विस के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार को साल्टर मशीन के साथ बुलाकर उक्त 02 सिलेण्डरो का तौल कराया गया जिस पर सिलेण्डरों में 19.200 किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पाई गई तथा एल.पी.जी. गैस होने की पुष्टि की गई। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो

जिला कलक्टर
जयपुर

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलू सिलेण्डर बी.पी.सी. मय एल.पी.जी. 19.200 किलोग्राम को जब्त किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स जयपुर गैस सर्विस जयपुर के प्रतिनिधि श्री भंवर खां की सुपुर्दगी में दिये गये। जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी. एसआर नम्बर 321453 एवं 45846 मय एल.पी.जी. 19.200 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 07.05.2014 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये।
3. बहस पैरोकार रसद सुनी गई
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि फर्म का निरीक्षण करने पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी. एसआर नम्बर 321453, 45846 पाये गये। जिनमें से एक घरेलू गैस सिलेण्डर एसआर नम्बर 321453 रेग्यूलेटर व रबड पाईप के माध्यम से लो की भट्टी से जुडा पाया गया जिस पर रोटी बनाने का कार्य किया जा रहा था। फर्म मालिक द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। धरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू सिलेण्डर बी.पी.सी. एसआर नम्बर 321453 एवं 45846 मय एल. पी.जी 19.200 को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।
5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 09.04.2014 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
6. प्रार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड प्रवर्तन अधिकारी जयपुर ने दिनांक 09.04.2014 को अप्रार्थी नाथूसिंह पुत्र के कब्जे से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया जाना बताया है । अप्रार्थी नाथूसिंह को नोटिस जारी किये जाने पर फोतगी रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुये है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति ने भी जब्त सिलेण्डरें की मिल्कीयत बाबत दावेदारी प्रस्तुत नही की है। अतः हम जब्त शुदा 02 घरेलू सिलेण्डर बी.पी.सी. एसआर नम्बर 321453 एवं 45846 मय एल.पी.जी. 19.200 को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में जब्त 02 घरेलू सिलेण्डर बी.पी.सी. एसआर नम्बर 321453 एवं 45846 मय एल.पी.जी. 19.200 को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के

अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 07.05.2014 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
9. निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर